बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

दिनांक 12.07.2025

सभी नगरीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की ओर से राज्य के नगरीय क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपील की जाती है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 में सक्रिय रूप से भाग लें। यह अभियान 25 जुलाई, 2025 तक संचालित किया जा रहा है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत मतदाताओं की भागीदारी उत्साहजनक रही है और अब तक लगभग 77% गणना प्रपत्रों का संकलन किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। उदाहरणस्वरुप विभिन्न शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में गणना प्रपत्र के संकलन के आंकड़े निम्नवत हैं- दीघा विधानसभा क्षेत्र - 64%, कुम्हरार - 67%, बांकीपुर - 72%, पटना साहिब - 74.21%, दानापुर - 73%, गया टाउन - 69%, भागलपुर (टाउन)–71%, मुजफ्फरपुर (टाउन)– 70%
- नगरीय क्षेत्रों में केवल गणना प्रपत्रों का संकलन ही नहीं, वोट प्रतिशत भी सामान्यतः कम दर्ज होता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की उदासीनता को दर्शाता है।
- नगरीय क्षेत्रों में पूर्व में Prefilled गणना प्रपत्र भी उपलध कराये गए थे जिसमें से 60-65 प्रतिशत भरकर वापस आ गए हैं परन्तु शेष फॉर्म अप्राप्त हैं।
- पुनः वर्तमान अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में BLO एवं नगर निकाय के कर्मियों द्वारा हर घर दस्तक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रपत्र में आपको निम्न जानकारी भरनी है- नाम, ईपीआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, अन्य आवश्यक विवरण और अपना पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना है।

- इसके अतिरिक्त आप अपना Prefilled गणना प्रपत्र voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं या गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
- यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी के साथ गणना प्रपत्र तुरंत भरकर जमा कर दें, ताकि 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारुप मतदाता सूची में आपका नाम आ जाये। आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेज दावा-आपत्ति अवधि 01 अगस्त, 2025 से 01 सिंतबर, 2025 के बीच भी बीएलओ को उपलब्ध कराया जा सकता है।

लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए आपकी भागीदारी अनिवार्य है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाने में आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। याद रखें, आपकी सहभागिता ही लोकतंत्र की असली ताकत है।

****